**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7409/2025

Kishan Singh Dhakad S/o Vijendra Singh Dhakad, Aged About 32 Years, R/o Village Bagorthana Nadoti, District Karauli, Presently Plot No. 75, House Of Dinesh Sharma, Ramnagar 17A, Khorabhisal, Jaipur, Police Station Kardhani-Jaipur.
(Presently Confined In Central Jaipur).

----Accused/Applicant

Versus

The State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Applicant(s)	:	Mr. Rohit Khandelwal, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Arit Sharma, Dy. G.A. with Mr. Vivek Sharma, Addl. G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

31/07/2025

1. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना–पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना–झोटवाड़ा, जिला–जयपुर (पश्चिम)** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–437/2024** अपराध अन्तर्गत **धारा 8/21 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985** में पेश किया गया है।

2. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी–अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि मामले के तथ्यों के अनुसार सह–अभियुक्त वकील खान के कब्जे से दिनांक 19.06.2024 को 12.14 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। उक्त सह–अभियुक्त वकील खान ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह उक्त स्मैक प्रार्थी–अभियुक्त किशन सिंह से खरीद कर लाया था, इस प्रकार प्रार्थी–अभियुक्त किशन सिंह को उक्त सह–अभियुक्त के बयान

के आधार पर प्रकरण में मुलजिम बनाया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि सह–अभियुक्त वकील जिसके कब्जे से मादक पदार्थ बरामद होना पाया गया है, उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा ही स्वीकार कर ली गयी है, किन्तु प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध आठ अन्य प्रकरण पूर्व में दर्ज होना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थी–अभियुक्त के कब्जे से कोई मादक पदार्थ बरामद होना नहीं पाया गया है। सह–अभियुक्त द्वारा दिये गये बयान के आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त को इस मामले में धारा 8/29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय अपराध में आरोपी बनाया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थी–अभियुक्त को इस मामले में दिनांक 27.01.2025 को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। मामले में आरोप पत्र भी न्यायालय में पेश किया जा चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

3. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन–पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

4. बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थी–अभियुक्त के कब्जे से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। प्रार्थी–अभियुक्त किशन सिंह को अन्य सह–अभियुक्त, जिसके कब्जे से स्मैक बरामद की गयी है के बयान के आधार पर मुलजिम बनाया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 27.01.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र भी न्यायालय में पेश किया जा चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई

टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **किशन सिंह धाकड़ पुत्र विजेन्द्र सिंह धाकड़** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–437/2024, पुलिस थाना–झोटवाड़ा, जिला–जयपुर (पश्चिम)** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **पचास–पचास हजार रूपये** की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे, जिनमें से एक सुदृढ प्रतिभूति उसके एक परिवारजन द्वारा प्रस्तुत करा दी जावे तथा प्रार्थी–अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी–अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ /224